

8753
26/2/14

अनुसूची-14 फारम संख्या-562।

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर दरभंगा आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक- बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत
सन्दर्भित वाद संख्या- 65 / 2013-14

राजीव कुमार चौधरी बनाम डॉ० अश्वनी कुमार चौधरी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना।</p> <p>आवेदक ने Revisional Survey entry को wrong बताते हुए इस वाद की प्रश्नगत 2.83 एकड़ अर्थात 1.144 हेक्टेयर भूमि में अपने को 25 % का share holder declare करने के निमित्त वाद पत्र प्रस्तुत किया है</p> <p>सुनने से विदित होता है कि उभय पक्ष आपस में खासमखास पट्टीदार हैं जिनके बीच हक-हकियत एवं हिस्सा-रस्सी का विवाद है जिसका निदान सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही संभव है।</p> <p>अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद को पोषनीयता एवं क्षेत्राधिकार के आधार पर dismiss किया जाता है तथा अगली कार्रवाई इसी आदेश के साथ Drop की जाती है।</p> <p>आवेदक चाहे तो सक्षम व्यवहार न्यायालय में अपने दावे के उपचार हेतु वाद दायर कर सकते हैं।</p> <p>“अभिलेख संचिकास्त करें।”</p> <p>लेखापित एवं शुद्धित 28/02/14 भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर दरभंगा</p> <p>28/02/14 भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर दरभंगा</p>	